



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-26102021-230724
CG-MH-E-26102021-230724

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 513]
No. 513]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 26, 2021/कार्तिक 4, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 26, 2021/KARTIKA 4, 1943

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 26 अक्टूबर, 2021

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021

सं. सेबी/एल.ए.डी-एन.आर.ओ./जी.एन/2021/54.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् -

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 में,-
 - I. विनियम 4 के खंड (ग) में,
 - i. पहले परंतुक के खंड (ii) में, चिह्न “;” चिह्न “:” से प्रतिस्थापित हो जाएगा।
 - ii. पहले परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“परंतु यह और कि ऐसे निवासी भारतीय भी आवेदक का हिस्सा हो सकते हैं जो व्यक्ति न हों, बशर्ते कि नीचे दी हुई शर्तें पूरी होती हों, अर्थात् –

- i. आवेदक ऐसी आनुकल्पिक निवेश निधि (ऐसा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड) हो, जिसका गठन अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में हुआ हो और जिसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण द्वारा विनियमित (रेग्युलेट) किया जाता हो;
- ii. ऐसा निवासी भारतीय (जो व्यक्ति न हो) आवेदक का प्रायोजक (स्पॉन्सर) या प्रबंधक (मैनेजर) हो; और
- iii. ऐसे निवासी भारतीय (जो व्यक्ति न हो) की हिस्सेदारी, –
 - क. आवेदक के कॉर्पस के 2.5% तक की हो या 7,50,000 अमरीकी डॉलर की हो (जो भी कम हो), यदि आवेदक प्रवर्ग-I या प्रवर्ग-II की आनुकल्पिक निवेश निधि हो; या
 - ख. आवेदक के कॉर्पस के 5% तक की हो या 1.5 मिलियन अमरीकी डॉलर की हो (जो भी कम हो), यदि आवेदक प्रवर्ग-III की आनुकल्पिक निवेश निधि हो;”

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./377/2021-22]

पाद टिप्पणः

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/36 द्वारा, 23 सितम्बर, 2019 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 तत्पश्चात्,-
 - (1) 19 दिसम्बर 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन) विनियम 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/44, द्वारा
 - (2) 7 अप्रैल 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन) विनियम 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/09, द्वारा
 - (3) 17 अप्रैल 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा
 - (4) 3 अगस्त 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/30, द्वारा
 - (5) 3 अगस्त 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन) विनियम 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/32, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 26th October, 2021

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (FOREIGN PORTFOLIO INVESTORS) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2021

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/54.—In exercise of the powers conferred by section 30 read with clause (c) of sub-section (2) of section 11 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019, namely—

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Second Amendment) Regulations, 2021.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019, –
 - I. In clause (c) of regulation 4,
 - i. in clause (ii) of the first proviso, the symbol “;” shall be substituted with the symbol “:”.
 - ii. after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely, –

“Provided further that resident Indian, other than individuals, may also be constituents of the applicant, subject to the following conditions, namely –

 - i. *the applicant is an Alternative Investment Fund setup in the International Financial Services Centres and regulated by the International Financial Services Centres Authority;*
 - ii. *such resident Indian, other than individuals, is a Sponsor or Manager of the applicant; and*
 - iii. *the contribution of such resident Indian, other than individuals, shall be up to-*
 - a. *2.5% of the corpus of the applicant or US \$ 7,50,000 (whichever is lower), in case the applicant is a Category I or Category II Alternative Investment Fund; or*
 - b. *5% of the corpus of the applicant or US \$ 1.5 million (whichever is lower), in case the applicant is a Category III Alternative Investment Fund;”*

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./377/2021-22]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019 were published in the Gazette of India on September 23, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/36.
2. The Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019 were subsequently amended on, –
 - (1) 19th December, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/44.
 - (2) 7th April, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Amendment) Regulations, 2020 vide No SEBI/LAD-NRO/GN/2020/09.
 - (3) 17th April, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
 - (4) 3rd August, 2021, by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
 - (5) 3rd August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/32.